भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2793

(जिसका उत्तर गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट शासन</u>

2793. श्री महेश जोशी :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सम्यक् और पारदर्शी कारपोरेट शासन सुनिश्चित करने के लिए कोई रोडमैप बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों के अनियमितताओं/गैर-कानूनी कार्यों को देखते हुए सरकार का विचार कंपनी अधिनियम में कंपनी लेखाओं से संबंधित मानकों को संशोधित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार ने कारपोरेट क्षेत्र के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाया है/उठाने का विचार है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ड.) : अर्थव्यवस्था में व्यवसायों के बढ़ते महत्व तथा परस्पर निर्भर विश्व में प्रचालन की जटिलताओं के कारण इस मंत्रालय द्वारा कारपोरेट शासन पर नीति दस्तावेज बनाने हेतु दिनांक 07.03.2012 को श्री आदि गोदरेज की अध्यक्षता में एक समिति गठित करना आवश्यक हो गया। समिति को निम्नलिखित अधिदेश दिया गया:-

(क) कारपोरेट शासन पर एक औपचारिक नीति दस्तावेज की आवश्यकता के संबंध में मत प्राप्त करना;

(ख) कारपोरेट क्षेत्र, शिक्षा संस्थानों एवं आम जनता में सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करना;

(ग) विषयों पर स्पष्टीकरण हेतु आवश्यक सेमीनार, कार्यशालाएं एवं बैठकें आयोजित करना तथा स्पष्टता प्राप्त करना;

(घ) सार्वजनिक विज्ञापनो के माध्यम से प्रश्नावलियां जारी करना तथा लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना; तथा

(ड.) सर्वोत्तम विचार में अपने कार्यों के संचालन हेतु उनकी आंतरिक स्वायतता पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना कंपनियों के सभी वर्गों में सर्वोच्च गुणवत्ता के कारपोरेट शासन हेतु व्यापक नीति फ्रेमवर्क का सुझाव देने के लिए अन्य आवश्यक कदम उठाना।

(च) लोक शासन प्रणाली तथा कारपोरेट शासन के मध्य सहक्रिया प्रारंभ करने और उसके संवर्द्धन का रास्ता एवं तरीका सुझाना।

(छ) सुस्थायित्व रिपोर्टिंग को कारपोरेट शासन नीति फ्रेमवर्क का भाग बनाने के मामले की जांच करना।

समिति ने केन्द्र सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है।

*****